अभियोजन

<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म०प्र०)</u>

<u>आ0प्र0कमांक—23 / 2013</u> संस्थित दिनांक—07.01.2013 फाईलिंग क.234503002812013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा, तहसील–बैहर, जिला–बालाघाट (म0प्र0)

/ / विरूद्ध / /

ताराचंद पिता नारायण सिंह मरकाम, उम्र—39 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम दाउटोला रेलवाही, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—21/09/15 को घोषित)

1— आरोपी ताराचंद के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196, 39/192, 50 (ख)/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—24.09.2012 को दोपहर करीब 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम रेलवाही में अपने स्वामित्व के वाहन हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटरसाइकिल कमांक—सी.जी—05 जेड.ई/4858 को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से बिना बीमा एवं बिना रिजस्ट्रेशन के चलवाकर, उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—24.09.2012 को थाना मलाजखण्ड में पदस्थ प्रधान आरक्षक धरमचंद बघेल को एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड से प्राप्त तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर हेमलता पिता शंकर मरकाम उम्र—16 वर्ष तथा शंकर पिता समारू उम्र—43 वर्ष, समिलया बाई पित शंकर मरकाम, उम्र—40 वर्ष निवासी ग्राम रेलवाही, थाना बिरसा से पूछताछ कर कथन लिया गया तथा मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त किया गया। जांच के दौरान उसने पाया कि शंकर मरकाम अपनी लड़की

हेमलता को दमोह साईकिल से फोटोकॉपी कराने सुबह 8:00 बजे लेकर गया था और वापस आते समय रेलवाही चौक पर करीब 2:00 बजे दिन में सामने से आरोपी दीपक मरकाम अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-05 जेड.ई / 4858 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और उनकी साईकिल को ठोस मार दिया, जिससे वह गिर गया और बेहोश गया था तथा उसके दोनों घुटने और हाथ में चोट लगी थी। उसकी लड़की हेमलता जो बेहोश जैसी थी, खून की उल्टी करने लगी। आहत शंकर का ईलाज बिरसा में तथा उसकी लड़की हेमलता का ईलाज एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में हुआ था। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता संतलाल द्वारा थाना मलाजखण्ड में लेख कराई गई। पुलिस थाना मलाजखण्ड द्वारा अपराध क्रमांक-0/12, धारा-279, 337 के अंतर्गत आरोपी दीपक मरकाम के विरूद्ध दर्ज की गई, जिसे असल नंबरी हेतु थाना बिरसा भेजा गया। पुलिस थाना बिरसा द्वारा अपराध क्रमांक-115/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लखेबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत शंकरसिंह का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा उक्त घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये। प्रकरण में आरोपी दीपक मरकाम नाबालिंग होने से अभियोगपत्र किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी वाहन मालिक ताराचंद के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा–184, 3/181, 50(1) ख/177, 39/192, 146/196, 15/177, 5/180 दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपी ताराचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196, 39/192, 50 (ख)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।
- 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपी ताराचंद ने दनांक—24.09.2012 को दोपहर करीब 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम रेलवाही में अपने स्वामित्व के वाहन हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक—सी.जी—05 जेड.ई. 4858 को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति

से बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

- 5— नेमिसंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, जो उसके गांव का ही है। दीपक मरकाम आरोपी का लड़का है। उसके सामने आरोपी के लड़के दीपक मरकाम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी दीपक मरकाम की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविराधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया।
- 6— शंकर सिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी ताराचंद व उसके लड़के दीपक को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपनी लड़की हेमलता को साईकिल में पीछे बैठाकर अपने गांव रेलवाही घर आ रहा था, जैसे ही वह अपने गांव के किनारे पहुंचा, तभी मोटरसाईकल में ताराचंद का लड़का मानेगांव तरफ से आ रहा था। उसने उसकी साईकिल को ठोस मार दिया था, जिससे वे दोनों गिर गए थे। मोटरसाईकिल किसकी थी, उसे जानकारी नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को बयान देते समय उक्त मोटरसाईकिल का नंबर बताया था या नहीं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी ताराचंद के लड़के दीपक के द्वारा मोटरसाइकिल का चालन करते हुए दुर्घटना कारित करने की पुष्टि की है।
- 7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सोमलाल कावरे (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—27.09.12 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के

पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड से प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/12, धारा—279, 337 भा.द.वि. प्राप्त होने पर थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—115/12, धारा—279, 337 भा.द.वि. के तहत असल नम्बरी लेख की गई थी, जिसकी सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न है। उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक—28.09.12 को घटनास्थल का नजरीनक्शा शंकर की निशानदेही पर तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही शंकर सिंह एवं दिनांक—01. 10.12 को हेमलता बाई, रामकुमार, कृष्णा, मेनसिंह, काशीराम, देवेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

- 8— उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने दिनांक—29.09.12 को आरोपी दीपक से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 अनुसार एक मोटरसाईकिल कमांक—सी.जी—05 जेड.ई—4858 जप्त किया था। उसके द्वारा वाहन मालिक ताराचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा—133 के तहत पूछा गया था कि उक्त मोटरसाईकिल कमांक—सी.जी—05 जेड.ई—4858 दिनांक—24.09.12 को कौन चला रहा था। उक्त नोटिस के जवाब में आरोपी ताराचंद ने उक्त मोटरसाईकिल को संतराम पिता रामकेश गुप्ता लाखेनगर रायपुर से वर्ष 2008 में खरीदना बताया था। उक्त मोटरसाईकिल उसके नाम से ट्रॉसफर नहीं होना बताया था। उक्त दिनांक को मोटरसाइकिल अपने लड़के दीपक को चलाने के लिए दिया जाना बताया था और दुर्घटना होने की जानकारी दी थी। नोटिस की प्रति एवं जवाब की प्रति चालान के साथ संलग्न है। दिनांक—29.09. 12 को आरोपी दीपक को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था। आरोपी दीपक के द्वारा टक्कर मारने से आहत की साईकिल को हुई नुकसानी पंचनामा एवं उक्त क्षतिग्रस्त साईकिल को उसके हिफाजत में दिए जाने का सुपुर्दनामा की प्रति चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा मोटरसाईकिल का विधिवत् परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था।
- 9— उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने विवेचना के दौरान आरोपी ताराचंद के द्वारा बिना लायसेंस वाले को वाहन चलाने देने से एवं घटना समय वाहन का बीमा न होने और आर.सी.बुक न होने एवं वाहन खरीदने की

सूचना आर.टी.ओ अधिकारी को न देने और आरोपी दीपक के पास घटना समय वाहन चलाने का लायसेंस न होने से अंतिम प्रतिवेदन में मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196, 39/192, 50 1—ख/177, 3/181 भी बढ़ाई गई थी। आरोपी दीपक किशोर होने से मूल चालान किशोर न्यायालय बालाघाट पेश किया गया था एवं आरोपी ताराचंद के विरुद्ध में दस्तावेजों की समस्त फोटोकॉपी जो थाना प्रभारी से सत्यापित करवाकर संलग्न कर आरोपी ताराचंद के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था। दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—1 एवं प्रदर्श पी—2 पर एवं प्रदर्श पी—3 से लगायत प्रदर्श पी—30 पर थाना प्रभारी निरीक्षक किरण किरो के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है।

- 10— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उसने अनुसंधान के दौरान आरोपी के पुत्र दीपक से आरोपी की मोटरसाइकिल कमांक—सी. जी—05 जेड.ई / 4858 जप्त किया था। उसके द्वारा आरोपी को धारा—133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस देकर उसकी मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी लेने पर आरोपी ने मोटरसाइकिल किसी संतराम नामक व्यक्ति से क्रय करने के उपरान्त उसे अपने नाम से अंतरण कराने की कार्यवाही न किया जाना बताया था। साक्षी के कथन से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी के पुत्र दीपक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लायसेंस नहीं था और उक्त वाहन का बीमा भी नहीं था। आरोपी ने उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अंतरण की रिपोर्ट नहीं की थी तथा आरोपी के नाम से वाहन का वैध पंजीयन नहीं था। उक्त सभी तथ्यों के खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित होता है।
- 11— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल

रहा है कि आरोपी ताराचंद ने उक्त घटना के समय वाहन हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटरसाइकिल कमांक—सी.जी—05 जेड.ई/4858 को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से बिना बीमा एवं बिना रिजस्ट्रेशन के चलवाकर, उक्त वाहन के अंतरिति होते हुए रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की। अतएव आरोपी ताराचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196, 39/192, 50 (ख)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता है।

- 12— आरोपी ताराचंद व उसके अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।
- 13— प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपी के द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को मात्र अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाने से न्याया के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी ताराचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196, 39/192, 50 (ख)/177 के अंतर्गत कमशः 500/—,1000/—, 2000/—,100/—कुल राशि 3,600/—(तीन हजार छः सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को प्रत्येक अपराध हेतु एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 14— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15— आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट